

2018/00122 (1)

रिपोर्ट पटवारी इंडिया

महोदय जी निवेदन है कि ग्राम इंडिया की जमाबंदी संवत् 2012-15 के खाला सं 430, 431 व 432 में पार्सी का नाम हगामा पिता रेवताकीर दर्ज है। जबकि आधारकार्ड में पार्सी का नाम हगामीलाल पिता रेवताकीर दर्ज है, अतः उक्त दोनों खालों में हगामा के बजाय हगामीलाल किया जाना उचित होगा रिपोर्ट भीमानजी की सेवा में पेश है।

(हिरेश मजूमदार)
पटवारी प्र.
स. 21824
स. 21824
स. 21824 (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट नूअनरी उपकर

I-LR
रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट एवं सही है। उपरोक्तानुसार जति / नाम / हिस्सा दुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

राजस्व लोक अदातत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार
फूलिया कला (भीलवाड़ा)

आदेश नं. 10-5-18

सं 130/18 उपकर

इस रिपोर्ट तभी तहसीलदार द्वारा विपणन के तहत इंडिया को जमाबंदी संवत् 2012-15 के खाल सं. 430, 431 व 432 में पार्सी का नाम हगामा के बजाय हगामीलाल लिखे जाने का आदेश दिया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा विपणन के तहत उपरोक्त खालों में पार्सी का नाम हगामीलाल लिखे जाने का आदेश दिया जा रहा है।

उपसहाय अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा



तहसीलदार,
फूलिया कला जिला भीलवाड़ा